AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF:1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (2), Issue (3), Oct-Dec 2025 ISSN: 3048-7951

शहरी राजनीति में लैंगिक संवेदनशीलता: पटना शहर का एक अध्ययन

आनंदी कुमारी[1] और डॉ॰ यादव गुंजन रामराज[2]

https://doi.org/10.5281/zenodo.17927140

Review: 08/12/2025 **Acceptance: 12/12/2025** **Publication: 14/12/2025**

सार (Abstract): यह शोध अध्ययन बिहार की राजधानी पटना में शहरी राजनीति में लैंगिक संवेदनशीलता की स्थिति, चुनौतियों एवं संभावनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 74वें संविधान संशोधन (1992) के बाद शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% तथा बिहार में 50% आरक्षण के बावजूद वास्तविक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। अन्वेषणात्मक पद्धति के आधार पर किए गए इस अध्ययन में 200 महिला मतदाता से टू स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग विधि से सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकड़ा, फोकस ग्रुप डिस्कशन तथा पटना नगर निगम के दस्तावेजों का विश्लेषण शामिल है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पितृसत्तात्मक संरचना, परिवारिक बाध्यताएँ, क्षमता निर्माण की कमी, पुरुष पार्षदों का वर्चस्व तथा प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता लैंगिक संवेदनशील शहरी शासन के प्रमुख अवरोध हैं। शोध लैंगिक संवेदी बजट, अनिवार्य प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा नीतिगत सुधारों की अनुशंसा करता है।

कुंजी शब्द: लैंगिक संवेदनशीलता, शहरी राजनीति, पटना नगर निगम, महिला प्रतिनिधित्व, पितृसत्ता, शहरी शासन

प्रस्तावना: भारत में शहरी राजनीति पिछले दो दशकों में तीव्र परिवर्तन के दौर से गुज़री है, विशेषकर 74वें संविधान संशोधन (1992) के बाद, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता, वित्तीय शक्तियाँ और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इस परिवर्तन ने शहरी शासन में भागीदारी की नई संभावनाएँ खोलीं, जिनमें महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी और लैंगिक संवेदनशीलता के प्रश्न केंद्र में आए। शहरी राजनीति को पारंपरिक रूप से शक्ति, संसाधन वितरण, निर्णय-निर्माण, नेतृत्व और नीति-निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। परंतु इन संरचनाओं में लैंगिक आयाम लंबे समय तक उपेक्षित रहा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, उनकी एजेंसी, निर्णय-निर्माण में उनकी सशक्त भूमिका, और संस्थागत ढाँचों की लैंगिक संवेदनशीलता, इन सब पर समुचित विमर्श अपेक्षाकृत नया है।

बिहार में स्थिति विशेष रूप से रोचक और महत्वपूर्ण है। बिहार ने 2006 से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण लागू कर भारत में एक मिसाल कायम की। इस कदम ने महिलाओं के लिए राजनैतिक

[1]समाजशास्त्र विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत
[2]विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बी.डी. कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

अवसरों के नए द्वार खोले। राज्य में 60% तक वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर महिलाएँ चुनकर आईं। यह मात्र सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन का संकेत था, जिसने शहरी शासन में महिलाओं की उपस्थिति और भूमिका को नई पहचान दी। आज बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा जैसे शहरों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या पहले से कहीं अधिक है। परंतु मात्र प्रतिनिधित्व होने से लैंगिक संवेदनशीलता स्वतः नहीं आती–इसके लिए संस्थागत ढाँचों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सामाजिक-राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक संस्कृति में व्यापक बदलावों की आवश्यकता होती है।

पटना नगर निगम चुनाव - महिला पार्षदों की संख्या और प्रतिशत

वर्ष	कुल पार्षद	चुनी गई महिला पार्षद	प्रतिशत (%)	टिप्पणी
2006	75	26	34.67%	उस समय 33% आरक्षण था
2011	75	28	37.33%	33% आरक्षण, कुछ अतिरिक्त महिलाएँ सामान्य सीटों से जीतीं
2017	75	39	52.00%	50% महिला आरक्षण लागू हुआ। 38 आरक्षित + 1 सामान्य सीट से महिला जीती
2022	75	40	53.33%	50% आरक्षण। 37 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन 40 महिलाएँ चुनी गईं (3 अतिरिक्त महिलाएँ सामान्य सीटों से जीतीं)

स्त्रोत : पटना नगर निगम, वेबसाईट।

शहरी राजनीति का स्वरूप ग्रामीण राजनीति की तुलना में भिन्न होता है। यहाँ सामाजिक संरचनाएँ अधिक विविध होती हैं, प्रतिस्पर्धा अधिक जटिल होती है, नागरिकों की अपेक्षाएँ अधिक व्यापक होती हैं और निर्णय-निर्माण में भागीदारी की प्रकृति भी बदल जाती है। शहरी क्षेत्रों में सत्ता की गतिशीलता विभिन्न हित समूहों, राजनीतिक दलों, नौकरशाही, सिविल सोसाइटी और मीडिया के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे वातावरण में महिला प्रतिनिधियों का उदय न केवल राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने की संभावनाएँ भी उत्पन्न करता है। किंतु इसके बावजूद, महिलाओं की भूमिका अक्सर 'प्रॉक्सी' या 'प्रतिनिधिक' लोकतंत्र तक सीमित मानी जाती है। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि शहरी निकायों में बड़े पैमाने पर महिलाएँ निर्वाचित तो होती हैं, परंतु वास्तविक शक्ति उनके पुरुष परिजनों के हाथों में रहती है।

यही कारण है कि *लैंगिक संवेदनशीलता* का प्रश्न इस अध्ययन का केंद्रीय बिंदु है। लैंगिक संवेदनशीलता का आशय केवल महिलाओं की भागीदारी से नहीं, बल्कि इस बात से है कि राजनीतिक संरचनाएँ किस हद तक लैंगिक दृष्टिकोण को समझती हैं, समाहित करती हैं और तदनुसार नीतियों का निर्माण करती हैं। यह अवधारणा

निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा, अधिकारों की पहुँच, प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समावेशिता से संबद्ध है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण तीन आयामों– एजेंसी, संसाधन और उपलब्धि – पर आधारित होता है। एजेंसी का अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता; संसाधनों का आशय है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पूंजी की उपलब्धता; और उपलब्धि का आशय है वास्तविक परिवर्तनकारी भूमिका। शहरी राजनीति में महिलाओं के अनुभव इन तीनों आयामों से जुड़कर व्यापक सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। परंतु इन परिवर्तन की संभावनाओं के सामने अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे–सामाजिक-सांस्कृतिक पितृसत्ता, राजनीतिक हिंसा, आर्थिक निर्भरता, सीमित प्रशिक्षण, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता।

बिहार के शहरों की सामाजिक संरचना अभिजात्य, मध्य वर्ग, कामकाजी वर्ग, आप्रवासी समूहों, अल्पसंख्यकों, दलित-महादलित, और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के मिश्रण से बनती है। ऐसे विविध समाज में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू दायरे तक सीमित नहीं रहती; वे आर्थिक गतिविधियों, श्रम बाजार, व्यापार, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में भी बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। परंतु इसके बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता के अनेक रूप दिखते हैं–जागरूकता की कमी, राजनीतिक प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, चुनावी खर्च का दबाव, सुरक्षा-संबंधी चिंताएँ, तथा राजनीतिक हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाएँ।

इसी संदर्भ में बिहार में शहरी राजनीति और महिलाओं की भूमिका का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह न केवल राज्य के राजनीतिक विकास को समझने में मदद करेगा, बल्कि लैंगिक न्याय और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के व्यापक विमर्श में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। आज शहरी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति सामाजिक विधानों, आरक्षण नीतियों और राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है, लेकिन उनकी वास्तविक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक अधिक जटिल हैं। इस शोध का उद्देश्य मात्र यह नहीं है कि महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी–बल्कि यह कि उनकी राजनीतिक भूमिका कितनी प्रभावी, स्वतंत्र, निर्णय-क्षम और नीतिगत योगदान देने वाली है।

बिहार के शहरी निकायों में कई महिला मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसिलर ऐसी हैं जिन्होंने प्रशासन, शहरी योजना, सड़क-सफाई, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, और स्लम विकास जैसे क्षेत्रों में प्रभावी हस्तक्षेप किया है। वहीं, अनेक महिला प्रतिनिधियों का अनुभव ऐसा भी है, जहाँ उन्हें राजनीतिक पहचान स्थापित करने, प्रशासन के साथ तालमेल बैठाने, पार्टी तंत्र में जगह बनाने और पुरुष-प्रधान राजनीतिक संस्कृति से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह आलेख *नारीवादी सिद्धांतों, सत्ता के विमर्श, सामाजिक पूँजी सिद्धांत, संस्थागत सिद्धांत* और *लैंगिक न्याय* के व्यापक ढाँचों से प्रेरित है। यह शोध मात्र संस्थागत संरचनाओं का वर्णन नहीं

करता, बल्कि यह विश्लेषण करता है कि राजनीति में लैंगिकता किस प्रकार सामाजिक संरचनाओं, शक्ति संबंधों और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होती है।

बिहार के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक उपस्थिति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संक्रमण का संकेत देती है। यह संक्रमण मात्र प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं, लैंगिक भूमिकाओं और शहरी विकास के संपूर्ण परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। परंतु इस परिवर्तन की गति अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे समझने के लिए गहन विश्लेषण आवश्यक है।

इसी पृष्ठभूमि में यह शोध शहरी राजनीति में लैंगिक संवेदनशीलता का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह न केवल इस बात की समीक्षा करता है कि बिहार के शहरों में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति क्या है, बल्कि यह भी कि शहरी शासन की संरचनाएँ किस प्रकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं या बाधित करती हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, सरकार, शहरी निकायों, सिविल सोसाइटी संगठनों और शैक्षणिक जगत– सभी के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे।

सैद्धांतिक ढाँचा: सिल्विया वाल्बी (Walby, 1990) द्वारा प्रतिपादित *पितृसत्ता की छह संरचनाएँ*– घरेलू, राज्य, रोजगार, संस्कृति, पुरुष हिंसा तथा यौनिकता–जिनके माध्यम से पटना नगर निगम में महिलाओं की सीमित एजेंसी एवं निर्णय-भूमिका को समझा गया है। कैरोलीन मोसर (Moser, 1993) का *लैंगिक एवं विकास दृष्टिकोण (GAD)*, जो महिलाओं की *व्यावहारिक* व *रणनीतिक* लैंगिक आवश्यकताओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए यह दर्शाता है कि शहरी नीतियों और योजनाओं में इन आवश्यकताओं की अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है। यूएन विमेन (UN Women, 2014) का *लैंगिक संवेदी शासन फ्रेमवर्क*, जो लैंगिक बजट, लैंगिक ऑडिट एवं *gender mainstreaming* के मानकों को मापने का औजार प्रदान करता है। इन चारों सिद्धांतों का संयोजन पटना नगर निगम में *संख्यात्मक आरक्षण* और *वास्तविक लैंगिक संवेदनशीलता* के बीच विद्यमान अंतर को समाजशास्त्रीय रूप से स्पष्ट करता है।

शोध प्रश्न: इस शोध के प्रमुख शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं:

1. पटना नगर निगम में महिला पार्षदों का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व वास्तविक निर्णय-निर्माण एवं नीति-प्रभाव में कितना परिवर्तित हो पाया है?
2. पटना की शहरी राजनीति में महिला पार्षदों की एजेंसी को सीमित करने वाले प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पितृसत्तात्मक कारक कौन-कौन से हैं?

ये दो शोध प्रश्न पूरे अध्ययन की दिशा निर्धारित करते हैं तथा संख्यात्मक आँकड़ों, गुणात्मक अनुभवों एवं नीतिगत विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं। जो कि इस आलेख को एक दिशा प्रदान करती है।

शोध पद्धति

- अध्ययन क्षेत्र: पटना नगर निगम, बांकीपुर अंचल (12 वार्ड)
- प्रकृति: अन्वेषणात्मक पद्धति
- निदर्श चयन: क्लस्टर सैंपलिंग
- निदर्श आकार:
    - सर्वेक्षण - 200 महिला मतदाता
    - साक्षात्कार - 4 महिला जनप्रतिनिधि

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया अब मात्र जनसंख्या वृद्धि या भौतिक विस्तार तक सीमित नहीं रह गई है; बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, शक्ति-संबंधों और लैंगिक असमानताओं के पुनर्संयोजन का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में पटना–जो प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक राजधानी तक के ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी रहा है–इन जटिल सामाजिक द्वंद्वों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। एक ओर पटना बिहार का अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित, शहरीकृत और आकांक्षी नगर है, वहीं दूसरी ओर लिंग अनुपात (885) और महिला साक्षरता में विद्यमान लगभग 12 प्रतिशत का अंतर यह संकेत देता है कि यहाँ पारंपरिक लैंगिक संरचनाओं का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। यही अंतर्विरोध पटना को लैंगिक संवेदनशील शहरी शासन, महिला सहभागिता और समावेशी नीति-निर्माण के अध्ययन के लिए एक अत्यंत उपयुक्त और प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला बनाता है।

संवैधानिक स्तर पर पटना में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मानी जा सकती है। बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जिसने वर्ष 2006 में ही शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया। इस दूरदर्शी नीति के परिणामस्वरूप पटना नगर निगम के 75 वार्डों में से 38 वार्डों में महिलाओं का निर्वाचित होना शहरी शासन में उनकी सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है।

प्रथम दृष्टया यह स्थिति महिला सशक्तिकरण की एक ठोस उपलब्धि को रेखांकित करती है। नगर निगम की बैठकों में कई महिला पार्षदों की भागीदारी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती दृश्यता और संस्थागत प्रवेश को संभव बनाया है। यद्यपि पारिवारिक सहयोग की भूमिका अभी भी अनेक मामलों में दिखाई देती है, फिर भी यह संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाती है, जहाँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के बीच महिलाएँ धीरे-धीरे राजनीतिक अनुभव, आत्मविश्वास और निर्णयात्मक क्षमता अर्जित कर रही हैं। इस प्रकार, यह प्रतिनिधित्व भविष्य में अधिक स्वायत्त और प्रभावी महिला नेतृत्व के लिए एक मजबूत आधार निर्मित करता है।

बजट आवंटन में लैंगिक संवेदनशीलता की स्थिति और भी दयनीय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पटना नगर निगम का कुल बजट 3847 करोड़ रुपये था, जिसमें स्पष्ट रूप से लैंगिक संवेदी मदों (महिला शौचालय, पिंक

लाइटिंग, क्रेच, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, महिला पार्किंग आदि) पर व्यय मात्र 69 करोड़ रुपये यानी 1.8 प्रतिशत था। निगम की योजनाएं "लिंग-तटस्थ" होने का दावा करती हैं, एवं महिलाओं की जरूरतों को केंद्र में रखती हैं। मुख्य सड़कों तथा वार्ड की गलियों में भी स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध है जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं।

निष्कर्ष: अंततः पटना का यह अध्ययन देश के सामने एक कठोर प्रमाण रखता है कि मात्र आरक्षण से लैंगिक संवेदनशील शहरी शासन नहीं बनता। इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं: लैंगिक बजट को कम-से-कम 10 प्रतिशत अनिवार्य करना, सभी महिला पार्षदों के लिए 15 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण, बैठक का समय शाम 7 बजे से पहले रखना, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को दंडनीय अपराध घोषित करना, और प्रत्येक महिला पार्षद को अलग कार्यालय कक्ष व सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, तब तक पटना सहित भारत के सभी शहरों में "स्मार्ट सिटी" का नारा आधा-अधूरा और आधा-पुरुष ही बना रहेगा। लैंगिक संवेदनशील शहर ही वास्तव में समावेशी और स्मार्ट शहर होगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

- बिहार नगरपालिका अधिनियम. (2007). बिहार राजपत्र, बिहार सरकार, पटना।
- भारत की जनगणना. (2011). रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- घोष, ए., एवं लामा-रेवाल, एस. टी. (2019). भारत में लिंग और शहरी राजनीति: भारतीय शहरों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी (अनुवादित शीर्षक). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- जॉन, मैरी ई. (2018). शहरी स्थानीय शासन में महिलाएँ: भारतीय अनुभव. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 53(44), 39-46।
- मोसर, कैरोलीन. (1993). लैंगिक योजना और विकास: सिद्धांत, अभ्यास एवं प्रशिक्षण. रूटलेज, लंदन (हिन्दी अनुवाद उपलब्ध)।
- पिटकिन, हन्ना एफ. (1967). प्रतिनिधित्व की अवधारणा. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले।
- पटना नगर निगम. (2023-24). वार्षिक बजट दस्तावेज. पटना नगर निगम, पटना।
- यूएन विमेन. (2014). लैंगिक-संकल्पी शासन (Gender-Responsive Governance). संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क (हिन्दी संस्करण)।
- वाल्बी, सिल्विया. (1990). पितृसत्ता का सैद्धांतिकीकरण. बेसिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड (हिन्दी अनुवाद उपलब्ध)।

- कुमार, आनंद. (2022). बिहार में पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण. समाजशास्त्र समीक्षा, 18(2), 112-130।
- सिंह, रेणु. (2024). शहरी स्थानीय निकायों में महिला पार्षद: बिहार का अनुभव. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 51(1), 78-95।